(7)

संख्या– —/xxxvi(1)/2011-6–एक (2)/06

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल, 2011

विषय– प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गई संस्तुति एवं उस कम में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के संदर्भ में उत्तराखण्ड के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एल0 एल0 एम0 डिग्री धारक होने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्वि देने हेतु स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–112/xxxvi(1)/2008–6–एक (2)/06 दिनांक 27 मार्च, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत अधिकारियों एवं सेवा में आने वाले अधिकारियों तथा सेवा में कार्यरत रहते हुये विभागीय अनुमति करने के उपरान्त एल0एल0एम0 की उपाधि प्राप्त करने पर उनके मूल वेतन पर तीन अग्रिम वेतन वृद्वियां दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– छठवें वेतन की संस्तुति से दिनांक 1-1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षित होने के उपरान्त एल0एल0एम0 उपाधि धारक अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतर न्यायिक अधिकारी के वेतनमान पुनरीक्षण कर उच्च वेतनमान में पद स्थापित किये जाने की स्थिति में उस अधिकारी को पुनरीक्षित वेतनमान/पद स्थापित उच्च वेतनमान में 03 अग्रिम वेतन वृद्वि पूर्व में अनुमन्य अग्रिम वेतन वृद्वि के स्थान पर अनुमन्य होगी। उक्तानुसार अनुमन्यता से यदि कोई अवरोध देय होता है तो वह नियमानुसार आगणित करके देय होगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय संख्या–4659/xxvii(7)/2011 दिनांक 26 अप्रैल, 2011 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 50(1)/xxxvi(1)/2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड शासन, माजरा, देहरादून ।

App. GO

2– सचिव, महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन ।

3– प्रमुख सचिव, विधायी उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

4– सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

5– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।

6– निबन्धक लोक सेवा अधिकरण 316–फेज II बसन्त बिहार, देहरादून ।

7– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड व्यापार कर अधिकरण, हरिद्वार रोड रेस्पना पुल से पहले देहरादून ।

8– अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधीकरण, सी0–7 ले0नं0–1 शास्त्रीनगर, देहरादून ।

9– सचिव, लोकायुक्त, 218 किशननगर (रिस्पौर मार्ग) कौलागढ रोड, देहरादून ।

10– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, प्रथम तल फास्ट ट्रैक कोर्ट जिला न्यायालय परिसर देहरादून ।

11– सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

12– निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।

13– महाप्रशासक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल ।

14– निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून ।

15– अपर सचिव, (विधि) लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार ।

16– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

17– इरल: चैक अनुभाग/वित्त अनु–5/वेतन आयोग (व्यय नि0) अनु–7/कार्मिक अनुभाग ।

18– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
न्याय अनुभाग–1
संख्या : 02 ना.व./XXXVI (1)/2011–01/ना0व0/06
देहरादूनः दिनांकः 02 मई, 2011

शुद्धिपत्र

जिला देहरादून में आपराधिक मामलों के संचालन हेतु नामिका अधिवक्ताओं की आबद्धता किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या : 01/ना.व /XXXVI (1) /2011–01 /ना0व0/06 दिनांक 14 मार्च, 2011 व संलग्नक आवश्यक-पत्र में श्री आनन्द प्रकाश सेमवाल **के स्थान पर** श्री ओम प्रकाश सेमवाल पढ़ा जाय ।

2– शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रावधान पूर्ववत ही रहेंगें ।

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव,

संख्या–02 ना.व. (1)/XXXVI(1)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन ।
2– जिला न्यायाधीश, देहरादून ।
3– जिलाधिकारी देहरादून ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6– सम्बन्धित अधिवक्ता ।
7– एन0आई0सी0/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जी0 पी0 पाटनी)
अनु सचिव ।